न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 157/2019 **दायर दिनांकः 25/10/2019**

उनवान

1. रसुल मोहम्मद आयु 46 वर्ष पुत्र सिकन्दर खॉ जाति मुसलमान निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 07/01/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल अटरू पटवार हल्का अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0) के खाता संख्या 451 के ख0न0 602 का रकबा 0.84 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.84 है0 व खाता संख्या 552 के ख0न0 2100/601 का रकबा 0.06 है0, कुल किता 1 का रकबा 0.06 है0 आराजी में वादी का नाम रसुल मोहम्मद के स्थान पर रसुल अहमद आपके कर्मचारीगण ने गलत दर्ज कर दिया वादी का सही नाम रसुल मोहम्मद हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पेन कार्ड, रा0उ0प्रा0 विद्यालय प्रमाण पत्र खेड़लीगंज अटरू व टी0सी0 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने वादी का नाम रसुल अहमद गलत दर्ज किया हैं। उक्त आराजी वादी की पैतृक आराजी हैं। आपके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा सहवन से रसुल मोहम्मद के स्थान पर रसुल अहमद नाम दर्ज कर दिया जबकि वादी के भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पेन कार्ड, रा0उ0प्रा0 विद्यालय प्रमाण पत्र खेड़लीगंज अटरू व टी0सी0 आदि में रसुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:07 IST
Reason: SelfAttested

मोहम्मद नाम दर्ज हैं जो सही हैं। बिना सहायता न्यायालय आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वादी का नाम रसुल अहमद के स्थान पर रसुल मोहम्मद दर्ज किया जाना सम्भव नहीं हैं यदि वादी का नाम उक्त वर्णित आराजी में सही नहीं किया गया तो वादी को अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर के0सीसी0 ऋण आदि प्राप्त करने से वंचित होना पड़ेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पड़ेगा। इसलिए वादी को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर रसुल अहमद के स्थान पर रसुल मोहम्मद दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद कारण प्रथम बार आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा वादी का नाम गलत दर्ज करने पर एवं अंतिम बार दिनांक 30/09/2019 को तहसीलदार साहब अटय को प्रार्थना पत्र लेने से मना करने पर तथा माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम अटरू तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि :–

(अ) वादी को वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित ग्राम अटरू के खाता संख्या 451 के ख0न0 602 का रकबा 0.84 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.84 है0 व खाता संख्या 552 के ख0न0 2100/601 का रकबा 0.06 है0, कुल किता 1 का रकबा 0.06 है0 आराजी पर रसूल अहमद के स्थान पर रसूल मोहम्मद पुत्र सिकन्दर खॉ दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा राजस्व रिकॉर्ड जमा[illegible] रसुल अहमद के स्थान पर रसुल मोहम्मद दर्ज करने का आदेश प्र[illegible] करें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:07 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई। जवाब में कथन किया गया कि सरकार की ओर से जवाब दिया जाना आवश्यक नही है। जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया। साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 का शपथ पत्र पेश किया गया तथा रिकार्ड EXP करवाया गया।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी, बहस के दौरान प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में वादी का नाम रसूल अहमद के स्थान पर रसूल मोहम्मद पुत्र सिकन्दर खां राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत जमाबन्दी ग्राम अटरू की खाता संख्या 451 किता 1 रकबा 0.84 में वादी खातेदार का नाम रसूल अहमद पुत्र सिकन्दर, दर्ज है एवं खाता संख्या 452 किता 1 रकबा 0.06 है0 खातेदार रसूल अहमद पुत्र सिकन्दर खां दर्ज है। राशनकार्ड, पंजाब नेशनल बैंक पास बुक, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आयकार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, बिजली का बिल आदि में वादी का नाम रसूल मोहम्मद पुत्र सिकन्दर खां दर्ज है। ग्राम पंचायत अटरू का प्रमाण पत्र 11.10.2019 अनुसार रसूल मोहम्मद पुत्र सिकन्दर खां नाम का कोई दूसरा व्यक्ति नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम अटरू की खाता संख्या 451 किता 1 रकबा 0.84 है0 व खाता संख्या 452 किता 1 रकबा 0.06 है0 में खातेदार रसूल अहमद पुत्र सिकन्दर के स्थान पर रसूल मोहम्मद पुत्र सिकन्दर खां दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:07 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 157/2019

उनवान

1. रसुल मोहम्मद आयु 46 वर्ष पुत्र सिकन्दर खॉ जाति मुसलमान निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0) **वादी**

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम अटरू की खाता संख्या 451 किता 1 रकबा 0.84 है0 व खाता संख्या 452 किता 1 रकबा 0.06 है0 में खातेदार रसूल अहमद पुत्र सिकन्दर के स्थान पर रसूल मोहम्मद पुत्र सिकन्दर खां दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X.........................
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07.01.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	[illegible] वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	[illegible]र्चा [illegible]न	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.01.13 12:49:07 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)